न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

मुकदमा नं0 दावा – 51/2012

तारीख रजू – 08.06.2012

पीठासीन अधिकारी

जगदीश आर्य

(आर0ए0एस0)

उनवान

हरिया पुत्र रत्तीराम जाति मीना निवासी खिलचीपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली –वादी

विरूद्ध

1.रतनसिंह पुत्र प्रभू

2.देवीसहाय पुत्र प्रभू

3.कैलाशी बेबा रामकिशोर

समस्त जाति मीना निवासी खिलचीपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली

4.लेन्ड हॉल्डर, तहसीलदार सहाब तहसील टोडाभीम जिला करौली – प्रतिवादीगण

दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति–

श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट (वादी)

श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1, 2

प्रतिवादी नं0 3, 4 एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक 29.05.2017

संक्षेप्त मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नं0 570 रकवा 0.10 एयर एवं खसरा नं0 571 रकवा 0.20 एयर कुल किता 02 कुल रकवा 0.30 एयर वाके ग्राम खिलचीपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान स्थित है। जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा हिस्सा 1/2 पर वादी जमाना बुजुर्गान काबिज चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर काबिज है तथा प्रतिवादीगण का

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

कोई संबंध किसी प्रकार का नही है रिकार्ड मे विधिवत बटवारा नही हुआ है तथा मुताबिक समझौता भूमि खसरा नं0 571 रकवा 0.20 एयर पर प्रतिवादी का कब्जा काश्त है तथा खसरा नं0 570 रकवा 0.10 एयर पर वादी नं0 3 का कब्जा काश्त रहेगा तथा शेष 5 एयर भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 3 के संयुक्त कब्जे मे रहेगी तथा मौके पर बाह्मी तौर पर बटवारा कर रखा है। प्रतिवादी नं0 1, 2 चालाक किस्म के आदमी है तथा भूमि को खरीदकर वादी को बेदखल करना चाहाते है तथा रिलिफ चाही है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी नं0 1, 2 बाबत् तकास्मा किया जाकर अलग अलग खाता व लगान कायम किये जाये तथा प्रतिवादी नं0 1, 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाये कि वे वादी के कब्जे काश्त मे रूकावट पैदा नही करे।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर कर सम्मन प्रतिवादीगण जारी किये गये। प्रतिवादीगण नं0 1, 2 की तरफ से उनके वकील उपस्थित हुये। प्रतिवादी नं0 3, 4 बाबजूद तामील उपस्थित नही एकतरफा कार्यवाही की गई है। प्रतिवादी नं0 1, 2 ने जबाबदावा पेश कर कथन किया कि वादी का भूमि खसरा नं0 570, 571 कुल रकवा 0.30 एयर मे प्रतिवादी नं0 1 रतनसिंह हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार है तथा रिकार्ड जमाबंदी मे हिस्सा 1/2 की खातेदारी दर्ज है तथा हिस्सा 1/2 के खातेदार वादी हरिया ने उक्त आराजीयात के साबिक नं0 256 का हिस्सा 1/2 भाग जरिये इकरारनामा दिनांक 26.09.1982 को प्रतिवादी नं0 1 और 2 के पिता प्रभूलाल को राशि 9750 रूपये मे विक्रय कर 10 रूपये के स्टाम्प पर लिखापढी कर गवाही गवाहन करा दी है तथा प्रतिवादी का कब्जा है तथा वादी ने अपने हिस्से के शेष भाग 1/4 को भी प्रतिवादीगण को बरसो पूर्व विक्रय कर दिया है। वादी व उसके सहखातेदार कैलाशी ने उक्त आराजी के सम्पूर्ण भाग को विक्रय करने के समय से ही काबिज है तथा उक्त भूमि मे प्रतिवादी नं0 1, 2 का पुख्ता मकान, गेट, पाटोर पोश घर बनाकर आबादी के उपयोग उपभोग मे ले रहे है तथा यह भूमि आबादी की भूमि है तथा न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नही है दावा गलत पेश किया है खारिज किया जाये। वादी ने अपने दस्तावेजी सबूत मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069, नकल ट्रेस हाल पेश किये है। प्रतिवादी नं0 1, 2 ने अपने दस्तावेजी सबूत मे नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल विक्रयपत्र दिनांक 26.09.1972, नकल रहननामा बही प्रस्तुत की है। वादी ने अपने साक्ष्य मे पी डब्ल्यू 1 हरिया वादी व पी डब्ल्यू 2 धर्मसिंह के बयान लेखबद्व किये गये है तथा जिरह हुई है।

उप जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

दौराने दावा इस प्रकरण मे तहसीलदार टोडाभीम से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे जो पत्रावली मे शामिल है तथा मौका रिपोट मे स्पष्ट लिखा है कि मौके पर खसरा नं0 570 मे रतनसिंह पुत्र प्रभूराम जाति मीना ने छः गह पाटोर पक्की, दोपल्ला व एक झोपडी डालकर पक्की दासेबन्दी बना रखी है तथा दो पानी के कुन्डे बने हुये है तथा खसरा नं0 571 मे भी छः गह पाटौर पक्की दुपल्ला एवं मकान भी है मध्य मे एक बोरिंग भी है। कुछ हिस्सा बाडा के काम आता है तथा 0.05 एयर मे काश्त होती है। उक्त खसरा नं0 मे कुछ हिस्सा रतनसिंह पुत्र प्रभूराम के भाई देवीसिंह एवं रामसिंह पुत्र प्रभूराम के कब्जे मे है तथा खसरा नं0 570, 571 के सम्पूर्ण भाग पर देवीसहाय, रतनसिंह रामसिंह पिसरान प्रभूराम जाति मीना निवासी खिलचीपुर मीना का ही कब्जा है मौके पर हरिया पुत्र रत्तीराम जाति मीना का कोई कब्जा नही है।

यह पत्रावली दिनांक 29.05.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प पहाडी मे पेश हुई दोनो पक्ष उपस्थित हुये। प्रतिवादी देवीसहाय उपस्थित हुआ सीधे बहस करते हुये प्रतिवादी व उनके वकील ने कथन किया कि विवादित आराजीयात को वादी ने विक्रय कर कब्जा प्रतिवादी नं0 1, 2 का करा दिया है। वादी का मौके पर कब्जा नही है। मकानियत रिहायश बनी हुई है तथा मौका जॉच रिपोर्ट दिनांक 21.07.2014, 18.02.2015 संलग्न है जिनमे भी इस भूमि मे प्रतिवादी 1, 2 का रिहायश होना बताया है तथा वादी का कब्जा नही होना बताया है इसलिये दावा खारिज किया जायें।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रतिवादी व उनके वकील की बहस सुनी तथा राजस्व केम्प पहाडी मे उपस्थित व्यक्तियो ने भी वादी द्वारा भूमि का विक्रय करने, मौके पर प्रतिवादी रतनसिंह, देवीसहाय का कब्जा होना बताया। मौका जॉच रिपोर्ट तहसीलदार टोडाभीम ने भी अपनी जॉच रिपोर्ट मे इस भूमि मे आबादी प्रतिवादी नं0 1, 2 की होना लिखा है भूमि रिहायश के काम आ रही है। कब्जा वादी के अभाव मे चलाये रखना उचित नही होने से खारिज किया जाना प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2017 को सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलेक्टर टोडाभीम

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई फाईनल

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपजिला कलेक्टर वमुकाम टोडाभीम

व इजलास जगदीश आर्य (आर0ए0एस0)

उनवान

हरिया पुत्र रत्तीराम जाति मीना निवासी खिलचीपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली –वादी

विरूद्ध

1. रतनसिंह पुत्र प्रभू
2. देवीसहाय पुत्र प्रभू
3. कैलाशी बेबा रामकिशोर

समस्त जाति मीना निवासी खिलचीपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली

4. लेन्ड हॉल्डर, तहसीलदार सहाब तहसील टोडाभीम जिला करौली

– प्रतिवादीगण

जिला कलेक्टर (करौली) राज0

दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 दावा – 51/2012

तारीख रजू – 08.06.2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट एवं श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1, 2, प्रतिवादी नं0 3, 4 एकपक्षीय कार्यवाही मिनकानिब गुदई रूबरू हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् खसरा नं0 570 रकवा 0.10 एयर, 571 रकवा 0.20 एयर ग्राम खिलचीपुर खारिज किया जाता है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख अदायगी तक ...... का अदा करें।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner